

चौथी मंजिल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 05/05/2015

सेवा में,  
श्री सुरेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण जल आपूर्ति  
कमरा सं. 219-220, दूसरी मंजिल,  
पंजाब सिविल सचिवालय-II, सेक्टर-9, चंडीगढ़, पंजाब

**विषय:** राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजना पंजाब: पिछले सपोर्ट आर्गनाइजेशन द्वारा बढौतरी।

संदर्भ: ई-मेल दिनांक 03.05.2015, श्री शमशाद अली खान, एसओ, एनडीडब्ल्यूएसपीपी, धुरी

(अनुलग्नक)

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है, आपके राज्य के चुने हुए ब्लाक (धुरी) के साथ-साथ भारत के 11 राज्यों में 15 अतिशेषित ब्लाकों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

यह देखा गया है कि पायलट परियोजनाओं में किए जाने वाले कार्य के लिए पहले दिए गए ठेके पर सपोर्ट आर्गनाइजेशन ने संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई है। परिणामस्वरूप राज्य ने नई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अन्य दूसरे सपोर्ट आर्गनाइजेशन का चयन किया है और नए एसओ को ठेका दे दिया गया है और अब वह इस समय कार्य कर रहा है।

तथापि, पिछला एसओ (शमशाद अली खान सपोर्ट आर्गनाइजेशन) द्वारा पूरे किए गए कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा फंड से संबंधित विसंगतियों के लिए इस मंत्रालय से लगातार प्रश्न उठाता रहा है।

चूँकि अनुबंध रद्द कर दिया गया है और पायलट परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के अधीन एसओ को नियुक्त कर दिया गया है अतः इस मामले को राज्य के स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए।

तथापि, राज्य ने इस संबंध में उन्हें उत्तर नहीं दिया अथवा सम्प्रेषण में कहीं कुछ कमी है परिणामस्वरूप इस मंत्रालय में अनावश्यक रूप से कार्य बढ़ गया।

अतः इस मामले में राज्य और उपरोक्त एसओ द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने/निपटान करने की आवश्यकता है।

अतः यह अनुरोध है कि इस मामले का हमेशा के लिए समाधान करने के लिए आपके स्तर पर कृपया एक बैठक बुलाई जा सकती है।

कृपया बैठक की कार्यवाही की जानकारी इस मंत्रालय को भी भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

डॉ दिनेश चन्द्र

अतिरिक्त सलाहकार (पीएचई)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता एवं प्रभारी-ग्रामीण जल आपूर्ति, पंजाब।
2. राज्य के नोडल अधिकारी, पंजाब।
3. प्रतिलिपि: टीडी एनआईसी को वैबसाइट पर डालने के लिए।

